"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2015— आश्विन 8, शक 1937

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2013/स्था./चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-एक एवं दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् -

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद के संवर्गों का विवरण एवं उनका वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	अधिसमय वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8900	08	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	2%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8700	19	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	5%
		प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600	58	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15%
		वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600	97	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	25%
		कनिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	206	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	53%

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		टीप
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क)]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	388	50%	50%	कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा वरिष्ठ वेतनमान / प्रवर श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान / अधिसमय वेतनमान में क्रमोन्नति हेतु पदों की गणना, संवर्ग के पदों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी."

यह संशोधन 12 दिसम्बर, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 29th September 2015

NOTIFICATION

No. F 1-24/2013/Estt./Four. — In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In schedule of the said rules,-

For Schedule-I and II, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Name of the Department	Name of the Service	Description of categories of posts and their pay scales	Total number of posts sanctioned	Classification	percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	Super Time Scale Grade 37400-67000 Grade pay 8900	08	Gazetted Class I	2%
		Senior Selection Grade Scale 37400-67000 Grade Pay 8700	19	Gazetted Class I	5%
		Selection Grade Scale 15600-39100 Grade Pay 7600	58	Gazetted Class I	15%
		Senior Scale 15600-39100 Grade Pay 6600	97	Gazetted Class I	25%
		Junior Scale 15600-39100 Grade Pay 5400	206	Gazetted Class II	53%

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the Services	Total number of post	Percentage of number of the posts to be filled in		Note
			By direct recruitment [See rules 6 (1) (a)]	By Promotion [See rules 6 (1) (b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	388	50%	50%	Counting of post for direct recruitment and promotion to Junior Pay Scale and Kramonnati for Senior Pay Scale/ Selection Grade Pay Scale/Senior Selection Pay Scale/Super Time Pay Scale be made on the basis of total number of posts in the cadre."

This amendment shall be deemed to have come into force with retrospective effect from 12th December, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.